कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्रीमती कामिनी चौहान रतन, आई0 ए0 एस0, एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री गीता सेल्स, 226, आगरा गेट, फिरोजाबाद।**
प्रार्थना पत्र सं0 व दिनांक	**111 / 11 (प्रतिप्रेषित)**
प्रार्थी की ओर से	**श्री बी0 वी0 श्रीवास्तव, विद्वान अधिवक्ता।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत वाणिज्य कर अधिकरण, लखनऊ के द्वारा प्रतिप्रेषित वाद पर निर्णय

व्यापारी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र संख्या-111 / 11, दिनांक 26.12.2011 प्रस्तुत किया गया था, जिसमें मिट्टी का तेल प्रयोग होने वाली लालटेन व लैम्प तथा इनकी चिमनी पर कर की दर जाननी चाही गयी थी।

2. इस बिन्दु पर कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय दिनांक 03.03.2012 पारित करते हुए यह कहा गया था कि " हरीकेन लालटेन के सम्बन्ध में विशिष्ट प्रविष्टि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II भाग-क की प्रविष्टि संख्या-61 के अन्तर्गत उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I की प्रविष्टि संख्या-13 के अन्तर्गत केरोसीन ऑयल से जलने वाले लालटेन व लैम्प तथा उनकी चिमनी को करमुक्त घोषित किया गया है। इस प्रकार हरीकेन लालटेन के अतिरिक्त मिट्टी का तेल के प्रयोग से जलने वाली लालटेन व लैम्प व उनकी चिमनी उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I की प्रविष्टि संख्या-13 के अन्तर्गत करमुक्त रहेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न न्यायिक निर्णयों में यह निर्धारित किया गया है कि यदि किसी वस्तु की विशिष्ट प्रविष्टि उपलब्ध हो तो वह साधारण प्रविष्टि के ऊपर प्रभावी रहेगी। हरीकेन लालटेन व उसके एसेसरीज, कम्पोनेन्ट पार्ट्स के अतिरिक्त केरोसीन तेल से जलने वाली लालटेन व लैम्प तथा इनकी चिमनी करमुक्त रहेगी। "

3. कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के इस निर्णय के विरूद्ध व्यापारी द्वारा वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के समक्ष अपील संख्या-05 / 2012 दायर की गयी। वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने अपने निर्णय दिनांक 06.07.2012 द्वारा व्यापारी की अपील स्वीकार करते हुए कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.03.2012 को अपास्त करके वाद कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को पुन: निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया।

4. वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा प्रश्नगत वाद को अपने निर्णय दिनांक 06.07.2012 द्वारा इस आधार पर प्रतिप्रेषित किया गया कि प्रश्नगत प्रकरण में व्यापारी को समुचित साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया जो नैषर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। इसलिए प्रार्थी-व्यापारी को अपनी लालटेन व लैम्प के सन्दर्भ में अपना कथन व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देकर तथा उसके सम्बन्ध में विशेषज्ञ की राय लेकर पुन: विधि के अनुसार, उक्त लालटेन व लैम्प की बिक्री पर कर

........2

सर्वश्री गीता सेल्स / प्रा0पत्र सं0-111 / 11 (प्रतिप्रेषित) / धारा-59 / पृष्ठ-2

देयता के सम्बन्ध में आदेश पारित करें ।

5. प्रतिप्रेषित वाद की सुनवाई हेतु विद्वान अधिवक्ता-श्री बी0 वी0 श्रीवास्तव उपस्थित हुए, उनके द्वारा लालटेन का सैम्पुल प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि यह लालटेन केरोसीन ऑयल से ही जलती है । इस लालटेन के पम्पलेट में हरीकेन लालटेन तथा इन्सट्रक्शन ऑफ यूज़ में Fill karosene / Diesel up to 3/4th capacity of oil tank का उल्लेख है जिसके आधार पर इसको केरोसीन लालटेन न मानते हुए निर्णय किया गया, जबकि वास्तविक रूप से यह केरोसीन से ही जलने वाली लालटेन है और इनको हरीकेन लालटेन भी कहा जाता है । यह लालटेन उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I के क्रमांक-13 पर करमुक्त है ।

6. प्रतिप्रेषित वाद में वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा दिये गये दिशा निर्देश के क्रम में प्रश्नगत लालटेन का परीक्षण व्यापारी के कर निर्धारण अधिकारी से कराया गया । कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपने पत्र संख्या-343, दिनांक 01.01.2013 से आख्या प्रेषित की गयी है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 में हरीकेन लालटेन एक करयोग्य वस्तु है जिसकी प्रविष्टि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की अनुसूची-II पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-61 पर अंकित है । हरीकेन लालटेन वह लैम्प है जिसकी चिमनी जल रही बत्ती को हवा एवं ऑधी से बचाती है जिसमें चिमनी को जकड़ने के लिए फ्रेम लगा हो इसी कारण कमिश्नर बिक्रीकर बनाम पालीवाल ग्लास वर्क्स, शिकोहाबाद के मामले में (1999 यू. पी. टी. सी.-681)-माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा लैम्प की बत्ती को सुरक्षित रखने वाली, चिमनी वाली लालटेन को हरीकेन लालटेन, जिसमें ऐसी फ्रेमयुक्त चिमनी का प्रयोग होता है, जिससे जलने वाली बत्ती हवा एवं तूफान से सुरक्षित रहे, हरीकेन लालटेन माना है ।

शिड्यूल्ड-II पार्ट-ए के क्रमांक-61 पर दर्ज हरीकेन लालटेन, केरोसीन लैम्प / लालटेन, पैक्ट्रोमैक्स, ग्लास चिमनी दर्ज है जिस पर कर की देयता 4% दर्ज है । नोटिफिकेशन संख्या-क. अ. नि.-2-1021 / ग्यारह-9 (1) / 08-यू. पी. एक्ट-5-2008 आर्डर-(17)-2008 लखनऊ दिनांक 09 अप्रैल-2008 पर लालटेन यूजिंग केरोसीन ऑयल एण्ड देयर चिमनी बट एक्सक्लूडिंग गैस लालटेन पैक्ट्रोमैक्स एण्ड स्टोव एण्ड देयर पार्ट्स, एसेसरीज एण्ड कम्पोनेन्ट्स लिखा गया है । व्यापारी द्वारा हरीकेन लालटेन जो कि विविध ब्राण्ड नेम के हैं जिन्हें डीजल से भी जलने की घोषणा की गयी है उन्हें करमुक्त माना गया है जबकि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-61 पर हरीकेन लालटेन को करयोग्य वस्तु के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है जैसा उक्त लालटेन के पम्पलेट से भी स्पष्ट है । इस लालटेन में फ्रेमयुक्त चिमनी का प्रयोग किया गया है जिससे जलने वाली बत्ती हवा एवं ऑधी से सुरक्षित रहे ऐसी हरीकेन लालटेन को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-61 पर हरीकेन लालटेन को करयोग्य वस्तु के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है । प्रचार सामग्री / पम्पलेट / पैकिंग में उक्त को हरीकेन लालटेन घोषित किया गया है । पम्पलेट में हरीकेन लालटेन को डीजल से भी जलने वाली घोषित है अर्थात यह हरीकेन लालटेन केवल केरोसीन ऑयल से नहीं अपितु डीजल, स्प्रिट, सरसों तेल इत्यादि से भी जलती है ऐसे में इस उत्पाद को केरोसीन लालटेन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है । शिड्यूल्ड-I के क्रमांक-13 की प्रविष्टि में केरोसीन से

....3

जलने वाली लालटेन ही करमुक्त है जबकि प्रार्थी फर्म द्वारा बिक्रीत लालटेन केरोसीन के अतिरिक्त डीजल से भी जलती है जिसकी घोषणा उक्त फर्म द्वारा अपने पम्पलेट में की गयी है। शिड्यूल्ड-I के क्रमांक-13 में वर्णित लालटेन का आशय उस लैम्प से है जिसे मात्र केरोसीन से जलाया जा सके एवं जिसकी चिमनी हवा आँधी से बत्ती को सुरक्षित नहीं रखे एवं जिसकी चिमनी उपर्युक्त लैम्प के अन्दर नहीं टिकी हो। इस प्रकार हरीकेन लालटेन करयोग्य वस्तु है जो उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-61 के अन्तर्गत करयोग्य वस्तु की श्रेणी में रखी गयी है।

7. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा अपनी आख्या में यह कहा गया है कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची--I के क्रमांक-13 पर निम्न प्रविष्टि दी गयी है :-

" Electrical energy ; Windmill for water pumping and for generation of electricity; **Lantern and Lamps using kerosene oil and their chimney** but excluding gas lantern,petromax and stove and their parts,accessories and components Liquid petroleum gas for domestic use as defined under section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956 "

उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II पार्ट-ए के क्रमांक-61 पर निम्न प्रविष्टि दी गयी है :-

" **Hurricane lanterns, petromax,** accessories, components and parts thereof. "

उक्त प्रविष्टियों से स्पष्ट है कि केवल केरोसीन से जलने वाले लालटेन तथा उनकी चिमनी को ही करमुक्त किया गया है। हरीकेन लालटेन करमुक्त नहीं हैं। व्यापारी द्वारा बिक्रीत लालटेन हरीकेन लालटेन पायी गयी हैं इसलिए इन पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II पार्ट-ए के क्रमांक-61 के अन्तर्गत 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होनी चाहिए।

8. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I के क्रमांक-13 पर " **Lantern and Lamps using kerosene oil and their chimney "** को करमुक्त किया गया है। जॉच पर व्यापारी द्वारा बिक्रीत लालटेन हरीकेन लालटेन पायी गयी हैं। अत: व्यापारी द्वारा बिक्रीत उक्त लालटेन पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-61 के अन्तर्गत 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी।

9. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 14 जनवरी, 2013

ह0 / 14.01.2013

(कामिनी चौहान रतन)

एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।